न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर।

सिविल अपील संख्या–95/08

लालचंद्र आदि बनाम भीखा।

दिनांक 29.07.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित आये। उभयपक्ष द्वारा प्रार्थनापत्र 63ग अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधि० तथा प्रतिस्थापन प्रा०पत्र 61क के निस्तारण पर बल दिया गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 63ग–

प्रा०पत्र 63ग मय शपथपत्र अपीलार्थीगण की ओर से मुख्य रूप से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि रेस्पाण्डेंट्स सं०–1/7 श्रीमती बहौना की मृत्यु दौरान अपील दि० 17.10.2019 को हो गई है। प्रार्थीगण कानून कायदे से अनभिज्ञ व्यक्ति हैं। प्रार्थी दि० 13.02.2020 को जब अपील की तैयारी हेतु अपने अधिवक्ता महोदय के पास आया तो उनको उक्त बात से अवगत कराया। मृतका की मृत्यु का दिनांक व उसके वारिसानों की जानकारी करके बिना किसी देरी के प्रा०पत्र कर रहे हैं। जो देरी हुई है वह न जानकारी व अज्ञानतावश हुई है, जो माफ किए जाने योग्य है। अतः धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के अन्तर्गत कारित विलम्ब को क्षमा करने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा उक्त प्रा०पत्र के पृष्ठ पर "हर्जे पर Allow कर दिया जाये" का पृष्ठांकन किया गया है।

विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि रेस्पाण्डेंट्स सं०–1/7 श्रीमती बहौना की मृत्यु दिनांक 17.10.2019 को होना कहा गया है और उसके प्रतिस्थापन प्रा०पत्र में दिनांक 14.02.2020 अंकित है। इस प्रकार लगभग 4 माह का विलंब कारित हुआ है। प्रा०पत्र, शपथपत्र से समर्थित है। कोई तथ्यात्मक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। परन्तु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में कारित विलम्ब तथा अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

प्रा०पत्र 63ग मु० 200रू० हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रतिस्थापन प्रा०पत्र को प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

दिनांकः 29.07.2022

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला न्यायाधीश,
त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर।
जे.ओ. कोड–(UP 1561)

निस्तारण प्रार्थना पत्र 61क–

प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र कागज सं०–61क मय शपथपत्र अपीलार्थीगण की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि रेस्पाण्डेंट्स सं०–1/7 श्रीमती बहौना की मृत्यु दौरान अपील दि० 17.10.2019 को हो गई है। मृतक के जायज व कानूनी वारिस मृतक के लड़के शिवपूजन, रामपलट, अशोक कुमार तथा पुत्री प्रमिला हैं। अतः उसके वारिसानों तथा पारिणामिक संशोधन के बाबत अनुमति दिये जाने की प्रार्थना

की गई है।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा मौखिक रूप से विरोध किया गया है।

विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रा०पत्र, शपथपत्र से समर्थित है। प्रा०पत्र प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को पूर्व में क्षमा किया जा चुका है। प्रस्तावित वारिसानों में से शिवपूजन, रामपलट व अशोक कुमार प्रत्यर्थी सं०–1/4 ता 1/6 के रूप में पहले से पक्षकार मुकदमा हैं। वारिसानों के बाबत अथवा तथ्यों के सम्बंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है। आधार प्रा०पत्र पर्याप्त है। प्रा०पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रतिस्थापन प्रा०पत्र 61क स्वीकार किया जाता है। वांछित संशोधन अन्दर सप्ताह हो। बाद संशोधन, नवीन पक्षकार को, बाद पैरवी नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 22.08.2022 को पेश हो।

दिनांकः 29.07.2022

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला न्यायाधीश,
त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर।
जे.ओ. कोड–(UP 1561)

Digitally signed by Abhishek Kumar Srivastav
Date: 2022.07.29 17:07:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court